



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार – 249404

संख्या: 358/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 15 फरवरी, 2024

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी (ENGLISH) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 17 नवम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन/वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण मात्र आयोग द्वारा निम्नानुसार किया गया है:-

| | | |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 502421 | अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 17.11.2023 तक कोई वांछित प्रत्यावेदन /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है। |
| 2 | 502461 | अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 17.11.2023 तक कोई वांछित प्रत्यावेदन /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है। |
| 3 | 502477 | अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 17.11.2023 तक कोई वांछित प्रत्यावेदन /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है। |
| 4 | 502578 | अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 17.11.2023 तक कोई वांछित प्रत्यावेदन /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है। |
| 5 | 502634 | अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 17.11.2023 तक कोई वांछित प्रत्यावेदन /अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है। |
| 6 | 502667 | 1.अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 01 नवम्बर 2023 को प्रकाशित अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 16.11.2023 के साथ दिनांक 15.11.2022 को जारी नेट प्रमाण-पत्र तथा हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण-पत्र, इण्टरमीडिएट अंकतालिका व प्रमाण-पत्र, स्नातक उपाधि तथा परास्नातक उपाधि संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी विषयक से संबंधित संलग्न नेट प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की |

-SD-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।